Nature of International Law - प्रकृति

(1) ('International Law is the vanishing point of jurisprudence.' Dis.)

"अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विधि होना कैसा है"

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप
by
Dr. Khalid Hussain

Paper - VIII

आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास के प्रारंभिक चरण से लेकर अब तक उक्त विषय पर विवाद रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक अर्थ में विधि है या नैतिकता से संबंधित नियमों का संग्रह मात्र। यह विवाद 20वीं सदी के प्रारम्भ तक उग्र था। परन्तु पिछले 6-7 दशकों में उक्त विवाद की उग्रता एवं महत्ता में भारी कमी आयी है और सामान्य रूप से में स्वीकार किया जाने लगा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक अर्थ में विधि है। परन्तु यह कहना उचित नहीं होगा कि आज अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का पूर्णतः अन्त हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति के संबंध में दो परस्पर विरोधी विचार धाराओं के चलते ऐसा विवाद पाया जाता है।

विधि की विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रतिपादक एवं समर्थक ~~का~~ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के कानूनी स्वरूप को मानने से इन्कार करते हैं। ऐसे लेखकों में Hobbes, Pufendorf, Bentham, Austin तथा Holland आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दूसरी विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के वैधिक स्वरूप पर बल देती है।

Austin, Holland तथा उनके तरह के अन्य विद्वानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विधि नहीं है, क्योंकि उसमें विधि के तीन आवश्यक तत्व नहीं पाये जाते हैं। सर्वप्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का निर्माता किसी सम्प्रभु राजनीतिक सत्ता द्वारा नहीं होता। दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे संप्रभुसत्ता की बाध्यकारी शक्ति नहीं होती। तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन करने वाले को दण्ड देने की कोई प्रभावकारी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ऐसी बलरहित नियमावली को नैतिकता कहा जाना चाहिए, न कि विधि। Holland ने यह मत व्यक्त किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि अभी तक विकास के जिस चरण में पहुँची है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि अभी भी विधि शास्त्र के क्षेत्र से बाहर

Scanned with CamScanner

है। इसी को मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि " International Law is the Vanishing point of the Jurisprudence."

Austin तथा उसके विचार Holland का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रति जो दृष्टिकोण है उसकी, पुष्टि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में राज्यों के व्यवहार से भी होती रही है। राष्ट्र संघ की असफलता और अंतिम रूप से उसका अंत इस बात का प्रमाण है कि राज्यों के पारस्परिक संबंधों का आधार शक्ति राजनीति है, न कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से युद्ध से संबंधित है अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का युद्ध काल में व्यापक उल्लंघन होता है। फिर, UNO के अन्तर्गत महान राष्ट्रों की विशेष स्थिति भी इस बात का द्योतक है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था, समानता एवं न्याय पर आधारित न होकर बल अथवा शक्ति पर आधारित है।

International Law की प्रकृति के संबंध में अब तक जिस दृष्टिकोण की चर्चा की गयी है, उस दृष्टिकोण का विरोध अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लेखकों एवं विद्वानों के एक बड़े समूह ने किया है। लेखकों एवं विद्वानों का यह समूह यह मत व्यक्त करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की कानूनी प्रकृति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे लेखकों में Phillimore, Wheaton, Lawrence, Oppenheim, Hudson, Hyde, ~~Marke~~ Starke, Brierly Schwarzenberger आदि का नाम लिया जा सकता है। इन लेखकों ने Austin, Holland तथा उन जैसे अन्य लेखकों के मंतव्यों को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया है।

Austin तथा Holland द्वारा व्यक्त किया गया यह विचार तर्कपूर्ण नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि इसलिए नहीं है कि इसको निर्मित करने वाली सम्प्रभु ऐजेन्सी नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लिखित तथा संप्रभु द्वारा निर्मित कानूनों के साथ-साथ प्रथाओं एवं परम्पराओं पर आधारित कानून भी राष्ट्रीय

विधि के भाग माने जाते हैं। Hall तथा Lawrence जैसे विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का एक बड़ा भाग संधियों पर आधारित है तो तथा स्वयं परम्परा निश्चित रूप से राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण भाग रही है।

इसके अतिरिक्त, Austin तथा Holland का यह कहना कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून निर्माण (विधि निर्माण) कोई निकाय है नहीं है, भले ही 19वीं सदी में सही रहा हो, परन्तु वर्तमान समय में उनका मंतव्य उचित नहीं है। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से लेकर अब तक बहुपक्षीय संस्था में विधि निर्माणी बहुपक्षीय संधियां सम्पन्न हुई हैं। इन संधियों के अस्तित्व में आने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रथागत नियमों के अनुपात में कमी आयी है।

Austin तथा Holland का यह तर्क भी तथ्यहीन प्रतीत होने लगा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के पीछे बाध्यकारी शक्ति नहीं है। विशेष रूप से 20वीं सदी में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के पीछे बाध्यकारी शक्ति एक मान्य तथ्य बन चुकी है।

Austin तथा Holland के मत को चुनौती देते हुए Sir Henry Maine ने यह तर्क किया है कि दण्ड का भय कानून के पालन का वास्तविक आधार नहीं हो सकता। उनके अनुसार वास्तविकता यह है कि सामान्य तौर पर लोग विधि के नियमों का पालन आदतवश करते हैं। उसी प्रकार राज्य भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन किसी भय के कारण नहीं वरन् स्वभाव या आवश्यकता वश करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि को इस प्रकार आधार पर वैधानिक चरित्र से वंचित करना उचित नहीं है कि उसके नियमों, विशेष रूप से युद्ध संबंधी नियमों, का अक्सर उल्लंघन होता रहता है। कानून के उल्लंघन का अर्थ कानून की अनुपस्थिति नहीं है। यदि राष्ट्रीय विधि के कानूनी स्वरूप को इस आधार पर नहीं नकारा जाता कि उसके नियम का उल्लंघन होता है, तो

Scanned with CamScanner

तो ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के कानूनी स्वरूप को भी इस आधार पर नकारा नहीं जाना चाहिए कि उसके नियमों का उल्लंघन होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों को राज्यों ने कानूनी प्रश्नों के रूप में ही स्वीकार किया है, न कि नैतिक मतभेदों के रूप में। राज्यों का व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को कानूनी नियम के रूप में मान्यता देने के पक्ष में रहा है। U.S.A. के संविधान द्वारा संधियों को Supreme law of the land (देश की सर्वोच्च विधि) के रूप में स्वीकार किया गया है। ब्रिटेन, जर्मनी तथा विश्व के बहुत से अन्य देशों के संविधानों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि को देश की विधि व्यवस्था के भाग के रूप में स्वीकार किया है।

Oppenheim के अनुसार समुदाय की सामान्य सहमति ही किसी भी विधि व्यवस्था की बाध्यकारी सत्ता का आधार है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों से बाध्य होने की सहमति प्रदान की है और यही सहमति इस विधि के पीछे वास्तविक बाध्यकारी शक्ति है।

इस प्रकार विधिवेत्ताओं का मत, राज्य व्यवहार तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के व्यवहार से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के कानूनी चरित्र की पुष्टि होती है। परन्तु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि राष्ट्रीय विधि व्यवस्था की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था निश्चित रूप से कमजोर है। मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय विधायी एवं कार्यकारिणी व्यवस्था ~~अभी~~ उतनी सक्षम एवं प्रभावशाली नहीं है जितना कि राज्य की कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका है। I.C.J. भी बहुत सी सीमाओं के चलते एक कमजोर न्यायिक व्यवस्था है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था की चाहे जो भी कमजोरियाँ हों यह बात अपनी जगह पर सही है कि इसका कानूनी चरित्र निर्विवाद है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधि व्यवस्था का एक लंबा इतिहास रहा है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था आधुनिक सभ्यता की देन है। ऐसी स्थिति में यह आशा करना कि इतने ही समय में अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि का चरित्र पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले ~~अपना~~ उचित नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास की प्रवृत्ति सही दिशा में है और इस बात की संभावना है कि भविष्य में यह विधि व्यवस्था और सशक्त एवं सुदृढ़ हो। उसके और अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ होने के साथ ही उसके कानूनी चरित्र के संबंध में विवाद भी समाप्त हो जाएगा। फिर भी इस समय की विधि Holland की यह उक्ति पूर्णतः सही है कि "International Law is the Vanishing point of Jurisprudence."